ACE/21-22/300 17/6/2022

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रोसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9(4)(33)उ.मै.छा./सान्याअवि/पोर्टल/कार्ययोजना/2021-22/3469 दिनांक : 16.06.2022

आदेश

शैक्षणिक सत्र 2022–23 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय/ निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय, राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों द्वारा वेबसाईट **www.sjmsnew.Rajasthan.gov.in/scholarship** अथवा एसएसओ पोर्टल पर **SCHOLARSHIP SJE App** पर क्लिक कर पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जाती है :–

क्र.सं.	विषय वस्तु	निर्धारित तिथियां
1	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु शिक्षण संस्थानों द्वारा नवीन पंजीयन/पूर्व में पंजीकृत की मान्यता एवं पाठयक्रमवार फीस स्ट्रक्चर अद्यतन करने हेतु पोर्टल प्रारंभ करने की तिथि	15 जून 2022
2	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु पोर्टल प्रारंभ करने की तिथि	01 जुलाई 2022
2	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने एवं शिक्षण संस्थानों द्वारा नवीन पंजीयन/पूर्व में पंजीकृत की मान्यता एवं पाठयक्रमवार फीस स्ट्रक्चर अद्यतन करने हेतु अंतिम तिथि/पोर्टल बन्द करने की तिथि	31 जुलाई 2022

नवीन छात्रवृति पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2022–23 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों के लिए निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किए जाते है :–

1. आय सीमा:–

(अ) अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग–SBC) डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) एवं डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु (DNT) के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 2.50 लाख रू. तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।

(ब) डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) एवं डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु (DNT) में निम्नलिखित 17 श्रेणियों वाले विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे। *जैसे– बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अनाथ बालिका/बालक, विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री/ पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र, विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष*

Forward to
1. Notice Board/Website
2. Ramesh Sharma for record and necessary action

17.6.22

Scanned with OKEN Scanner

योग्यजन की पुत्री/ पुत्र।(उक्त श्रेणी के गत परीक्षा में न्यूनतम 60प्रतिशत प्राप्तांक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी)

(स) मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 5.00 लाख रू. से कम वार्षिक आय सीमा वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं (विभाग द्वारा सूचीबद्ध) में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।

2. <u>फीशिप कार्डः–</u> अनुसूचित जाति (SC), डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछडा वर्ग (EBC), अन्य पिछडा वर्ग (OBC) एवं डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु (DNT) के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को संस्थान में प्रवेश के समय विना अग्रिम शुल्क जमा करवाये प्रवेश लिए जाने हेतु उन विद्यार्थियों को छात्रवृति सुनिश्चतता हेतु फीशिप कार्ड हेतु आवेदन किया जा सकता है। फीशिप कार्ड को सम्बंधित शिक्षण संस्थान द्वारा स्वीकार्य किये जाने पर विद्यार्थी का फीशिप कार्ड छात्रवृति आवेदन के रूप में स्वतः परिवर्तित होकर शिक्षण संस्थान के स्तर पर प्रदर्शित होगा।

3. आवेदन प्रक्रियाः– सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन स्वंय पासवर्ड सृजित कर अथवा ई–मित्र/साइबर कैफे/शैक्षणिक संस्थान से आवेदन करने पर समस्त प्रविष्टियों की जांच स्वंय कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो आवेदन पत्र को सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को ऑनलाईन फाइनल सबमिट करें ।

4. छात्र/छात्रा मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आईडी स्वंय की ही दें ।

5. <u>दस्तावेजः–</u> उक्तानुसार छात्रवृति योजनाओं में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन पत्र ऑन लाईन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज/सूचनाऐं तैयार रखना आवश्यक होगा सभी दस्तावेज जनाधार/राज ई वोल्ट/डीजी लॉकर से ऑनलाइन ही लिये जाएंगे **जैसे–** आय का विवरण, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, गत वर्ष की अंकतालिकाऐं आदि। वांछित दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने पर <u>**मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा।**</u>

जैसे – गत अंतिम परीक्षा की अंकतालिका, फीस की मूल रसीद, अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक हेतु चिन्हित श्रेणी अनुसार वांछित दस्तावेज आदि।

6. <u>विद्यार्थियों की आधारभूत सूचना व आय विवरण में परिवर्तन</u> :– नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाईल नम्बर, आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय का विवरण आदि जनाधार पोर्टल से ली जा रही है। विद्यार्थी के शैक्षणिक रिकार्ड एवं जनाधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता होने पर शैक्षणिक रिकार्ड के अनुसार जनाधार पोर्टल में अंकित सूचना में ही संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा।

7. **जनाधार आई.डी. तथा आधार नम्बर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृति स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।**

8. **विद्यार्थी का बैंक विवरणः–** छात्रवृति आवेदन में विद्यार्थी स्वयं का ही खाता संख्या जनाधार के माध्यम से उपलब्ध करावें। अन्यथा छात्रवृति राशि जनाधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया के बैंक खाता में हस्तान्तरित होगी। विद्यार्थी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि उसके द्वारा अंकित किया हुआ बैंक खाता निम्न प्रकार हैः–

   a. विद्यार्थी का बैंक खाता आधार बेस्ड अकाउण्ट ही हो।

   b. छात्रवृत्ति आवेदन आवेदन पत्र में जो खाता उनके द्वारा अंकित किया जा रहा है, वह बैंक नियमों के अनुसार के.वाई.सी. (KYC) पूर्ण स्वंय का खाता हो।

Scanned with OKEN Scanner

c. छात्र के खाते में लेन–देन भी बैंक द्वारा निर्धारित समय–अन्तराल में हो एवं छात्र को प्राप्त होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृति की कुल धनराशि छात्र के खाते में ऑनलाईन ट्रांसफर के लिए कोई ऐसी सीमा (LIMIT) निर्धारित न हो जिससे कि धनराशि अन्तरण सम्भव न हो पाये।

d. बैंक खाता बन्द न हो अर्थात बैंक नियमों के अनुसार न्यूनतम राशि सरकारी बैंक में 1000 एवं निजी बैंक में 5000 भुगतान के समय उपलब्ध हो।

e. यदि बैंक खाता माईनर है एवं छात्रवृति की राशि 25000 रूपये से ज्यादा है, तो बैंक को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वयस्क खाते में परिवर्तित करावें।

9. **शुल्क संरचनाः–** शिक्षण संस्थान पोर्टल पर प्रदर्शित शुल्क संरचना पेज पर अंकित 8 मद यथा 1. पंजीकरण शुल्क (Registration Fee), 2. नामांकन शुल्क (Enrolment Fee), 3.शिक्षण शुल्क (Tuition Fee), 4.खेल–कूद शुल्क (Games Fee), 5.संगठन (यूनियन) शुल्क (Union Fee), 6.पुस्तकालय शुल्क (Library Fee), 7.पत्रिका शुल्क (Magazine Fee), 8.परीक्षा शुल्क (Examination Fee) का विवरण अंकित करेंगे। जिसके अनुसार ही उस पाठयक्रम के समस्त विद्यार्थियों को योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति देय होगी। अतः शैक्षणिक संस्थान इन 8 मद को सावधानी से पोर्टल पर अंकित करें। फीस की मदों का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में केवल अनुरक्षण भत्ता ही देय होगा। अन्य देय फीसों का पुनर्भरण संभव नहीं होगा।

10. **<u>शिक्षण संस्थान व पाठ्यक्रम का चयनः</u>–** आवेदन में केवल छात्रवृत्ति पोटल पर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान व उसके पाठ्क्रम आवेदन हेतु प्रदर्शित होंगे। विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शैक्षणिक संस्थान/पाठ्यक्रम/योजना अथवा अन्य का चयन किया जाता है एवं इस आधार पर आवेदन स्थाई रूप से निरस्त हो जाता है तो इसके लिए विद्यार्थी स्वंय जिम्मेदार होगा।

11. **<u>विद्यार्थी की बायोमैट्रिक उपस्थितिः</u>–** विद्यार्थी द्वारा आवेदन को शिक्षण संस्थान में प्रथम बार अग्रेषित किये जाने के पश्चात से ही विभाग द्वारा आवेदन का निस्तारण होने तक माह में कम से कम एक बार शिक्षण संस्थान में उपस्थित होकर छात्रवृति पोर्टल पर बोयामैट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य है। जिसके अभाव में आवेदन अग्रेषित एवं स्वीकृत किया जाना संभव नहीं होगा। इस हेतु शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृति पोर्टल पर बायोमैट्रिक उपस्थिति डिवाइस पंजीकृत किया जाना होगा।

12. **<u>शिक्षण संस्थान का पोर्टल पर प्रदर्शनः</u>–** जिन महाविद्यालयों द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र 2022–23 की मान्यता/सम्बद्धता एवं पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्राप्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अथवा अपडेशन नहीं किया है वे संस्थाएं छात्रवृति पोर्टल पर विद्यार्थियों को प्रदर्शित नहीं होगी। इसके अभाव में विभाग द्वारा महाविद्यालयों मे अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन नहीं कर सकेगें।

13. वर्ष 2019–20 से राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों के आवेदन पत्र विद्यार्थी के गृह जिले (बोनाफाइड सर्टिफिकेट) के जिलाधिकारी के द्वारा स्वीकृत किये जाऐंगे। जयपुर जिले में सांगानेर ,झोटवाड़ा एवं आमेर तहसील के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर (शहर) कार्यालय में एवं जयपुर जिले की अन्य तहसीलों (सांगानेर, झोटवाड़ा एवं आमेर तहसीलों को छोडकर) के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर (ग्रामीण) कार्यालय में अग्रेषित (Forward) किये जायेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर मैट्रिक छात्रवृति संबंधी विस्तृत जानकारी www.sjmsnew.Rajasthan.gov.in/scholarship अथवा विभागीय वेब साइट पर एवं विभागीय जिला कार्यालय में व्यक्तिशः एवं दूरभाष पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(ओ.पी.बुनकर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 9(4)(33)उ.मै.छा./सान्याअवि/पोर्टल/कार्ययोजना/2021-22 /सान्याअवि/3470-91 दिनांक : 15.06.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा , जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत, बीकानेर/जयपुर।
8. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग , जोधपुर।
9. वरिष्ठ प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राज.जयपुर।
10. जिला कलेक्टर्स/कोषाधिकारी, (समस्त)।
11. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
12. संयुक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
13. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय /निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, समस्त...............।
14. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त...।
15. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय समस्त.........................।
16. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय/ राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त............।
17. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त...............................।
18. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं.............................।
19. सिस्टम एनालिस्ट (JD) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, वेबसाईट पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई–मेल करवाने हेतु।
20. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोकतानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार करवाने तथा अपने जिले में स्थित समस्त शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर से सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
21. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
22. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृति एवं छात्रावास)

Scanned with OKEN Scanner